—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 204 / 2025

उनवान

1. निजामुद्दीन पुत्र मंसूर खान,
2. अब्दुल हमीद पुत्र मंसूर खान जातिगण चीता निवासी मस्जिद का बाडिया राजोसी

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखराज रावत

बनाम

1. फरीद पुत्र अब्दुलरहमान जाति चीता निवासी मस्जिद का बाडिया राजोसी,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 15.12.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजोसी के खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.07 व 648 रकबा 0.07 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने मौखिक बंटवारा किया हुआ है। आराजी मुतनाजा का न्यायिंकविभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी आराजी मुतनाजा का विभाजन नही करना चाहते है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। ग्राम राजोसी के खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.07 व 648 रकबा 0.07 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। अतः वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राजोसी के खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.07 व 648 रकबा 0.07 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

निजामुददीन बनाम फरीद

दावा बाबत :– 53, 88 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 204 / 2025
पेश करने की दिनांक – 28.08.25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखराज रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजोसी के खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.07 व 648 रकबा 0.07 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाई मीटर्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 12 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुदायला

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)